19/3135

संख्या– /XVIII-(2)/17-4(8)/2014

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता/विभागाध्यक्ष,
सिंचाई विभाग,
उत्तराखण्ड देहरादून।

आपदा प्रबन्धन अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांक 01 अक्टूबर, 2017

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2017–18 में एस.पी.ए. (पुनर्निर्माण) मद के अंतर्गत धनावंटन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–2265/मुअवि/बजट/बी–1(एस.पी.ए.–आर), दिनांक 17 जुलाई, 2017 के क्रम में सिंचाई विभाग की पत्रावली संख्या–04(20)/2013 के माध्यम से जनपद पिथौरागढ़ में 03 योजनाओं एवं जनपद चमोली की 03 योजनाओं हेतु गत वित्तीय वर्ष में समर्पित की गई कुल ₹ 583.32 लाख की धनराशि एस.पी.ए./ए.सी.ए. (आपदा 2013) के अंतर्गत इस वित्तीय वर्ष में धनावंटन किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017–18 में प्राकृतिक आपदा/एस.पी.ए. (पुनर्निर्माण) के अंतर्गत धनावंटन हेतु उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव हेतु भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के शासनादेश संख्या–44(21)PFI/2014-1334, दिनांक 27.01.2015 एवं संख्या–44(21)PFI/2013-1593, दिनांक 27.03.2015 द्वारा योजनायें अनुमोदित करते हुए धनराशि अवमुक्त की गई है। वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक में सिंचाई विभाग हेतु अनुदान मद में उप शीर्षक–0107–एस.पी.ए./ए.सी.ए. (आपदा 2013) के अंतर्गत सिंचाई हेतु अनुदान–24–वृहत निर्माण कार्य मद में ₹ 5.00 करोड़ की बजट व्यवस्था है। सिंचाई विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये ₹ 583.32 लाख के सापेक्ष ₹ 500.00 लाख (₹ पांच करोड़ मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखते हुए आहरित कर व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

1– वर्णित योजनाओं हेतु भारत सरकार द्वारा एस.पी.ए./केन्द्र पोषित योजनाओं के सम्बन्ध में निर्गत दिशा–निर्देश, मानकों एवं नियमों का पालन किया जायेगा तथा तत्काल सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

2– सम्बन्धित धनराशि का व्यय केवल उन्हीं योजनाओं के अन्तर्गत किया जाय, जिनके लिये यह स्वीकृति जारी की जा रही है तथा जिन योजनाओं की नियमानुसार स्वीकृति प्राप्त है। धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में संबंधित विभागाध्यक्ष व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

3– धनराशि का आहरण व व्यय वास्तविक आवश्यकता के अनुसार किस्तों में किया जायेगा।

4– धनराशि व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी से आंगणन पर तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त करा ली जायेगी।

5– उक्त व्यय में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के सुसंगत प्राविधानों तथा शासन द्वारा मितव्यता के विषय में समय–समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाय।

6– जहाँ आवश्यक हो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भूगर्भ वैज्ञानिक एवं अन्य ऐसे तकनीकी विशेषज्ञों, जिनकी आवश्यकता हो, से परियोजना की उपयुक्तता एवं आपदा के संदर्भ में निर्माण प्रासंगिकता के सम्बन्ध में आख्या प्राप्त कर ली जायेगी।

7– आहरण एवं वितरण अधिकारी को अवमुक्त धनराशि का विवरण बी.एम.–10 पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं उपयोगिता के सम्बन्ध में आवश्यक प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह के अन्त में नियमानुसार निर्धारित तिथि तक महालेखाकार, उत्तराखण्ड, राज्य सरकार एवं वित्त विभाग व नियोजन विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

8– कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित विभागाध्यक्ष पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

9– कार्य करने से पूर्व अनुमन्य दर सूची के आधार पर गठित विस्तृत आंगणन की तकनीकी स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

10— त्रैमासिक रूप से कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एवं व्यय विवरण शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा और स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31 मार्च, 2018 तक पूर्ण उपभोग कर लिया जायेगा।

11— सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, सिंचाई द्वारा प्रश्नगत चालू कार्यो का मासिक रूप से भौतिक सत्यापन किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

12— उल्लिखित कार्यों/योजनाओं पर मानकानुसार यथाप्रक्रिया भारत सरकार आदि का अनुमोदन पूर्व में प्राप्त कर लिया जायेगा। आंगणन में स्वीकृत डिजाइन/मानक एवं दरों के अन्तर्गत होने पर ही स्वीकृत धनराशि को व्यय किया जायेगा।

13— प्रश्नगत योजनाओं पर शेष धनराशि उस दशा में अवमुक्त की जायेगी, जब योजनाओं की वित्तीय एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र नियमानुसार उपलब्ध करा दिया जायेगा तथा भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार सभी स्वीकृतियां भारत सरकार आदि से प्राप्त कर ली जायेगी।

14— मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या—2047/XIV-219(2006), दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।

2— इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2017—18 के आय—व्ययक की अनुदान संख्या—6 के लेखाशीर्षक—2245—प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत—80—सामान्य—800—अन्य व्यय—0107—एस.पी.ए./ए.सी.ए. (आपदा 2013) के सिंचाई हेतु अनुदान—24—वृहत निर्माण कार्य मद के नामे डाला जायेगा।

3— यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या—610/3(150)/XXVII(1)/2017, दिनांक 30 जून, 2017 में प्राप्त निर्देशों के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव

संख्या-2308 (1)/XVIII-(2)/17-4(8)/2014, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1— प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2— आयुक्त, गढ़वाल मण्डल/कुमाऊँ मण्डल।
3— निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
4— निजी सचिव, मा0 सिंचाई मंत्री जी को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
5— निजी सचिव—मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5— अपर सचिव, वित्त एवं व्यय अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6— जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ एवं चमोली।
7— मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून, पिथौरागढ़, चमोली।
8— निदेशक, कोषागार, 23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
9— बजट अधिकारी, बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय उत्तराखण्ड।
10— राज्य सूचना अधिकारी, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
11— प्रभारी अधिकारी, मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
12— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्रदीप कुमार शुक्ल)
अनु सचिव

My Documents\verma ji m\Verma\P K Verma